न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : जगेन्द्र कुमार अग्रवाल, आर.एच.जे.एस.

दाण्डिक विविध (जमानत आवेदन) प्रार्थनापत्र संख्या 13 सन् 2018

ललित कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार, जाति जाटव, उम्र 21 साल, निवासी रामदेई स्कूल के पास चावंड कॉलोनी, खुदनपुरी, पुलिस थाना एन.ई.बी., जिला अलवर (राज.)

———प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक।

———विपक्षी/अभियोगी

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 439 दंड प्रकिया संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 239/2017, महिला पुलिस थाना, जिला अलवर, सेशन प्रकरण संख्या 569/2017, अपराध अंतर्गत धारा 363–366ए–376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4–16/17 पॉक्सो एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री मोहित कौशिक, विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री कुलदीप कुमार जैन, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक : 09.01.2018

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत द्वितीय जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित कौशिक के द्वारा अंतर्गत धारा 439 दंड प्रकिया संहिता में पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई गई। बहस जमानत प्रार्थनापत्र सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि फरियादिया मिश्रो देवी ने एक रिपोर्ट महिला पुलिस थाना अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि दिनांक 15.10.2017 को सुबह 10 बजे उसकी पुत्री घर से गायब हो गई एवं आसपास पता करने पर उसका ललित के साथ जाना पता चला एवं दिनांक 17.10.2017 को ललित के पिता ने ललित के कपड़ों की तलाशी में मिले सिमकार्ड के कवर पर लिखे नंबरों पर फोन किया तो उस पर उसकी पुत्री बोल रही थी एवं बच्चों के बोलने की भी आवाज आ रही थी, उसकी पुत्री को ललित बहला–फुसलाकर ले गया है.....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आरक्षी केंद्र महिला, जिला अलवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 239/2017 दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूंठा आलिप्त किया गया है। उसके द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। मामले में आरोपपत्र पेश हो चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया एवं जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 363–366ए–376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4–16/17 पॉक्सो एक्ट के दोषारोपण हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को तहरीरी रिपोर्ट में नामजद किया गया है। पीड़िता ने अपने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता एवं धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों में विशिष्ट रूप से प्रार्थी/अभियुक्त पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जाने बाबत् दोषारोपण किये हैं। केस डायरी से पीड़िता का अवयस्क होना प्रकट है। पुलिस ने भी अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया है। मामले में आरोपपत्र पेश हो जाने से मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति व गंभीरता में किसी प्रकार का परिवर्तन होना प्रकट नहीं होता है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, कारित अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुंणावगुंण पर वर्तमान प्रक्रम पर कोई राय व्यक्त किये बिना, हम प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाते हैं।

8. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त ललित कुमार पुत्र कमलेश कुमार की ओर से प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(जगेन्द्र कुमार अग्रवाल)

09. आदेश आज दिनांक 09.01.2018 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(जगेन्द्र कुमार अग्रवाल)